"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2013—आषाढ़ 26, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-8/18/2013.—यतः, राज्य सरकार की राय है कि राज्य के नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा 18 जुलाई, 2013 से प्रस्तावित हड़ताल के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य में समुदाय की सुरक्षा या स्वास्थ्य पर अथवा जीवन के लिए अपेक्षित अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

अतएव, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 65 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 99-बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि राज्य में आपात की स्थिति विद्यमान है और यह कि उसके परिणामस्वरूप राज्य के नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाला कोई भी सदस्य, तत्काल प्रभाव से, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह की कालावधि तक, तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

(क) विधिवत् स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त अन्यथा अपने कर्तव्य से स्वयं को न तो विकर्षित करेगा और न ही अनुपस्थित रहेगा, या

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा नहीं करेगा या उनका पालन करने से इंकार नहीं करेगा या अपने कर्तव्यों का जानबूझकर अदक्षतापूर्ण रीति में पालन नहीं करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 5-8/18/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-8/18/2013 दिनांक 17-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 17th July 2013

NOTIFICATION

No. F-5-8/18/2013.—Whereas, the State Government is of the opinion that due to strike proposed by the employees of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats of the State from 18th July, 2013, are likely to adversely affect safety or health or the maintenance of essential services, essential to the life of the community in the State of Chhattisgarh.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 65 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 99-B of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, declares that an emergency exists in the State and that in consequence thereof any member providing essential services, of the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State, with immediate effect till the period of one month from the date of publication of this notification and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, shall not—

(a) withdraw or absent himself from his duties otherwise than on leave duly granted, or

(b) neglect or refuse to perform his duties or willfully perform them in an insufficient manner.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.